विशेष अनुसंधान दल (एस0आई0टी0) द्वारा किये जाने वाले कार्य

प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए न केवल छोटे अपराधी बल्कि बड़े, असरदार एवं विभिन्न पदों पर आसीन ऐसे व्यक्ति एवं लोक सेवक जो अपनी पहुँच एवं पद का दुरूपयोग करके गंभीर आर्थिक अपराध करते हैं, को भी कानून के दायरे में लाने हेतु तथा प्रभावशाली व्यक्तियों एवं लोक सेवकों द्वारा कारित जटिल एवं गम्भीर मामलों की जॉच एवं विवेचना के उद्देश्य से प्रदेश में उत्तम श्रेणी के एक अन्तर्विषयक (मल्टीडिसिप्लीनरी), सर्वसम्पन्न एवं उच्च कार्यक्षमता वाले **विशेष अनुसंधान दल (स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम),** संक्षिप्त नाम **'एस.आई.टी.'** की स्थापना उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 16–06–07 को की गयी है। एस0आई0टी0 एक स्वतंत्र जांच एवं विवेचना एजेन्सी है।

प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा सन्दर्भित मामलों की एस.आई.टी. द्वारा जांच एवं विवेचना की जाती है। शासन द्वारा एस0आई0टी0 को केवल ऐसे प्रकरण संदर्भित किये जाते हैं जिनमें राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन कार्य कर रहे विभिन्न विभाग/संगठन/संस्थाओं/निगमों/अधिकरणों आदि में लोक सेवकों द्वारा अथवा लोक सेवकों द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ सांठ–गॉठ कर राज्य सरकार/राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभाग/संगठन/संस्थाओं/निगमों/अधिकरणों आदि को गंभीर राजस्व /वित्तीय हानि पहुँचायी गयी है। उपरोक्त के अतिरिक्त लोक–व्यवस्था को गंभीर क्षति पहुँचाने वाले अपवाद स्वरूप कुछ प्रकरणों को भी गृह विभाग द्वारा एस.आई.टी. को संदर्भित किये जाते हैं।

एस0आई0टी0 द्वारा ऐसे मामलों में विवेचना की जाती है जिसमें लिप्त व्यक्ति असरदार हों और कानून की पेचीदगी का लाभ उठाकर अपने आपको न्यायालय के माध्यम से बचाने का प्रयास करते है। उपयुक्त प्रकरणों में एस0आई0टी0 द्वारा 'विशेष लोक अभियोजक' की नियुक्ति के लिए गृह विभाग से अनुरोध करने की स्वतंत्रता होती है।

एस0आई0टी0 का कार्य न केवल विवेचना करना बल्कि विवेचनोपरान्त न्यायालय में अभियोजन कार्य अपनी देख–रेख में करना तथा विभागीय कार्यवाही की अनुसंशा किये जाने तथा विभागीय कार्यवाही में सम्बन्धित विभाग से अनुश्रवण करना भी है। एस0आई0टी0 द्वारा विवेचनोपरान्त भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–173 के तहत न्यायालय में रिपोर्ट पेश करने के अतिरिक्त लोक सेवकों के विरूद्व विभागीय कार्यवाही की संस्तुति /अनुश्रवण भी किया जाता है।

एस0आई0टी0 के कार्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा **विशेष अनुसंधान दल (एस0आई0टी0) के कार्यालय को थाना** के रूप में भी घोषित किया गया है। थाना एस0आई0टी0 का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश रखा गया है। इस थाने का मुख्यालय लखनऊ है। इसके अतिरिक्त विशेष अनुसंधान दल (एस0आई0टी0) थाना, (लखनऊ) की अधिकारिता से सम्बन्धित सभी मामलों का विचारण **न्यायालय विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक (सेन्ट्रल), लखनऊ** द्वारा किये जाने का प्राविधान है।